उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-3

संख्या-21/2016/324/12-3-2016-100(10)/2015

लखनऊ: दिनांक: 29 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना (पी0एम0के0एस0वाई) की गाइड लाइन में दिये गये प्राविधान के अनुसार योजना के संचालन हेतु राज्य स्तरीय अन्तविभागीय कार्यकारी दल का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	कृषि उत्पान आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव /सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4	प्रमुुख सचिव/सचिव मत्स्य , उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव /सचिव उद्यान, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव /सचिव ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव /सचिव पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव /सचिव महिला एवं बाल कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव /सचिव पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	प्रमुख सचिव /सचिव दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
11	प्रमुख सचिव /सचिव गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
12	प्रमुख सचिव /सचिव रेशम, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
13	प्रमुख सचिव /सचिव सिंचाइ, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
14	प्रमुख सचिव /सचिव परती भूमि विकास एवं जल संशाधन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
15	प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
16	प्रमुख सचिव नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
17	प्रमुख सचिव लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
18	प्रमुख सचिव उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
19	प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
20	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति	सदस्य
21	प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग	सदस्य
22	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग	सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

23	आयुक्त गन्ना विभाग	सदस्य
24	आयुक्त दुग्ध विकास विभाग	सदस्य
25	आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
26	आयुक्त नगर विकास विभाग	सदस्य
27	मुख्य वन संरक्षक वन विभाग	सदस्य
28	आयुक्त औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
29	निदेशक कृषि विभाग	सदस्य
30	निदेशक रा0कृ0प्र0सं0 रहमान खेडा	सदस्य
31	निदेशक मत्स्य विभाग	सदस्य
32	निदेशक उद्यान विभाग	सदस्य
33	निदेशक पशुपालन विभाग	सदस्य
34	निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
35	निदेशक पंचायती राज विभाग	सदस्य
36	निदेशक, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
37	निदेशक सूडा उत्तर प्रदेश।	सदस्य
38	सी0ई0ओ0-एस0एल0एन0ए0(आई0डब्ल्यू0एम0पी0) उत्तर प्रदेश।	सदस्य
39	प्रबन्ध निदेशक बीज विकास निगम उत्तर प्रदेश।	सदस्य
40	अन्य सिंचाई/जल उपयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
41	(मिशन डायरेक्टर पी0एम0के0एस0वाई0)	सदस्य सचिव
42	अपर निदेशक, कृषि।	सदस्य-सह सचिव

उपरोक्त अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे:-

अन्तर्विभागीय कार्यकारीदल प्रदेश के अन्तर्गत सिंचाई सम्बन्धित योजनाओं में समन्वय स्थापित कर उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी होगा जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों,संस्थाओं/ अनुसंधान संस्थानों/वित्तीय संस्थान जो कि पानी के प्रयोग/ रिसाईकिलिंग/संरक्षण आदि में सम्मिलित हैं उनको एक प्लेटफार्म पर लाते हुए सम्पूर्ण जलतंत्र को दृष्टिगत रखते हुए पानी की प्रत्येक बूंद के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करेगा।

अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल तकनीकि तथा वित्तीय दृष्टि से स्टेट इरीगेशन प्लान (एस0आई0पी0) व डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान(डी0पी0आर0) आदि को स्क्रूरटनी/परीक्षण करते हुए इसके अधीन परियोजनाओं की प्राथमिकता सुनिश्चित करेगा। अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल यह भी परीक्षण करेगा कि :-

http://shasanadesh.up.nic.in

1 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत लाने से पूर्व इससे सम्बन्धित राज्य अथवा भारत सरकार की योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का नियोजन एवं उपभोग कर लिया गया है।

2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत आने वाली राज्य अथवा भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के ओवरलैपिंग/डुप्लीकेशन न होने को सुनिश्चित करेगा।

3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उपलब्ध करायी गयी धनराशि प्रदेश अथवा भारत सरकार की अन्य प्रचलित योजनाओं एवं कार्यक्रम के लिये अतिरिक्त धन के रूप में सामग्री व्यय की स्वीकृत सीमा तक छोडते हुए टापअप अथवा अन्य व्यय हेतु व्यय न होने को सुनिश्चित करेगा। (मनरेगा के अन्र्तगत सामग्री व्यय पर धनराशि 40 प्रतिशत प्रतिबन्धित है।)

4 डी0पी0आर0 में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की धनराशि सम्मिलित की गयी है।

5 भारत सरकार एवं प्रदेश की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण (कन्वर्जन) का प्रयास किया गया है।

प्रवीर कुमार

कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>संख्या-324(1)/12-3-2016-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पान आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
2. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन
3. प्रमुख सचिव /सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. प्रमुुख सचिव/सचिव मत्स्य , उत्तर प्रदेश शासन ।
5. प्रमुख सचिव /सचिव उद्यान, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. प्रमुख सचिव /सचिव ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. प्रमुख सचिव /सचिव पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. प्रमुख सचिव /सचिव महिला एवं बाल कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. प्रमुख सचिव /सचिव पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. प्रमुख सचिव /सचिव दुग्ध विकास, उत्तर प्रदेश शासन ।
11. प्रमुख सचिव /सचिव गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन ।
12. प्रमुख सचिव /सचिव रेशम, उत्तर प्रदेश शासन ।
13. प्रमुख सचिव /सचिव सिंचाइ, उत्तर प्रदेश शासन
14. प्रमुख सचिव /सचिव परती भूमि विकास एवं जल संशाधन, उत्तर प्रदेश शासन
15. प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन, उत्तर प्रदेश शासन

http://shasanadesh.up.nic.in

16. प्रमुख सचिव नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन
17. प्रमुख सचिव लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन
18. प्रमुख सचिव उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन
19. प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश शासन
20. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति।
21. प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22. मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
23. आयुक्त गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
24. आयुक्त दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
25. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
26. आयुक्त नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
27. मुख्य वन संरक्षक वन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
28. आयुक्त औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
29. निदेशक कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
30. निदेशक रा0कृ0प्र0सं0 रहमान खेडा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
31. निदेशक मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
32. निदेशक उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
33. निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
34. निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
35. निदेशक पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
36. निदेशक, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था उ0प्र0, लखनऊ।
37. निदेशक सूडा उत्तर प्रदेश।
38. सी0ई0ओ0-एस0एल0एन0ए0(आई0डब्ल्यू0एम0पी0) उत्तर प्रदेश।
39. प्रबन्ध निदेशक बीज विकास निगम उत्तर प्रदेश।
40. अन्य सिंचाई/जल उपयोग के प्रतिनिधि
41. विशेष सचिव/स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
42. (मिशन डायरेक्टर पी0एम0के0एस0वाई0)

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in